वर्ष 3 अंक 8 अगस्त 1981 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

मजदूर वर्ग के शक्तिशाली आंदोलन की तैयारी करो

3 नवंबर को अखिल भारतीय दिवस

पी. राममूर्ति, महासचिव, सीटू, इंद्रजीत गुप्ता (एटक), सुशील भट्टाचार्य (यू टी यू सी), अमर चक्रवर्ती (टी यू सी सी), डी डी वशिष्ठ (एच एम एस) जे एस दारा (इंटक), रामनरेश सिंह (बी एम एस) और प्रीतीश चंदा (यू टी यू सी-एल एस) ने 24 जुलाई को निम्नलिखित बयान जारी किया है :

आठ केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय अभियान समिति, जिसने 4 जून को बंबई में मूल्यवृद्धि और सरकार की श्रमविरोधी नीतियों के खिलाफ एक संयुक्त ट्रेड यूनियन सम्मेलन आयोजित किया था, की दिल्ली में आज एक बैठक हुई. बी. एम. एस. के महासचिव श्री रामनरेश सिंह ने इसकी अध्यक्षता की.

समिति ने यह नोट किया कि राज्यव्यापी सम्मेलनों की तैयारियां संतोषजनक हो रही हैं, कुछ ऐसे सम्मेलनों की तारीखें कई राज्यों में तय भी की जा चुकी हैं और यह आशा की गई कि सभी राज्यों में ये सम्मेलन आठ केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों व 40 व उससे ज्यादा औद्योगिक व ट्रेड यूनियन फेडरेशनों, जिन्होंने बंबई सम्मेलन में भाग लिया था, के तहेदिल से सहयोग के साथ सितंबर महीने के मध्य तक संपन्न हो जाएंगे.

समिति ने आज यह फसला लिया कि मजदूरों की मांगों को प्रकाश में लाने और सरकार द्वारा ट्रेड यूनियन अधिकारों के लगातार उल्लंघन के खिलाफ एक "अखिल भारतीय दिवस" तीन नवंबर 1981 को सभी राज्यों की राजधानियों और औद्योगिक केंद्रों में भारी एकजुट प्रदर्शनों के साथ मनाया जाएगा.

इसके बाद नवंबर के तीसरे सप्ताह में 'संसद को, मजदूरों का एक विशाल कूच' आयोजित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार को एक नोटिस दिया जाएगा कि यह अपनी श्रम विरोधी व जन विरोधी नीतियों को त्याग दे नहीं तो इसे समूचे भारत में एक दिन की आम हड़ताल के रूप में, जिसकी तारीख बाद में तय करके घोषित की जाएगी, मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्ष का सामना करना पड़ेगा.

समिति ने इस बात को गहरी चिंता के साथ नोट किया कि बंबई सम्मेलन के बाद के सात सप्ताहों में कई गंभीर बातें हुई हैं जिनसे मजदूर वर्ग के शक्तिशाली, एकजुट व देशव्यापी आंदोलन की फौरी जरूरत को और भी मजबूत बना दिया है.

इनमें सरकार द्वारा बेशर्मी के साथ तेल और पेट्रोलियम पदार्थों, सीमेंट आदि के दामों को बढ़ाना है क्योंकि इससे मुद्रास्फीति और बढ़ेगी; सभी हड़तालों पर रोक लगाने के लिए जबरन मध्यस्थता का कथित फैसला और 'घाटे' के उद्योगों में न्यूनतम कानूनन बोनस देने की जिम्मेदारी को खत्म करना केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दो किश्तों को रोके रखना; मोदीनगर में ट्रेड यूनियन नेता जय प्रकाश की नृशंस हत्या; डा० सामंत की बंबई में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी और मजदूरों की रैली पर रोक तथा कई और ऐसे उदाहरण शामिल हैं.

संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों के जबरदस्त उल्लंघन की ट्रेड यूनियनों की शिकायतों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को एक संयुक्त ज्ञापन देने का भी समिति ने फैसला लिया.

समिति सभी ट्रेड यूनियनों से, उनसे भी जो किसी भी कारण से बंबई सम्मेलन में भाग नहीं ले सके थे, अपील करती है कि वे इस कार्यक्रम में हर स्तर पर भाग लें ताकि इसकी सफलता के लिए मजदूर वर्ग के एक शक्तिशाली आंदोलन की गारंटी हो सके. □

17 अगस्त को काला दिवस मनाओ

[कृपया पृष्ठ चार भीदेखें]

असम बागान मजदूरों द्वारा दमन का सामना

धुबरी में जिला अधिकारियों के सामने 30 जून को 3,000 मजदूरों की एक रैली आयोजित की गई. रैली में भाग लेने के लिए सैकड़ों मजदूर कई मील पैदल चले. विमल रणदिवे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लूट, आगजनी, पुलिस अधिकारी मोइनुल हक द्वारा जिगी के साथ बलात्कार, गिरफ्तारियों, मारपीट और कृष्णाकली टी एस्टेट के मैनेजर दिलीप घोष द्वारा मजदूरों के मुंह में पेशाब करने के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर व पुलिस सुपरिंटेंडेंट को एक ज्ञापन दिया.

बाद में एक जन सभा पुतुल बोरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसे विमल रणदिवे, अमल घोष दस्तीदार, महासचिव व ए. सरकार, सचिव, असम सीटू ने संबोधित किया.

हालांकि 8.33 प्रतिशत बोनस के लिए एकजुट संघर्ष संयुक्त रूप से चलाया गया था लेकिन इंटक नेतृत्व ने मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपते हुए बोनस पर फैसला कर लिया. उन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी और मजदूरों को तंग करना शुरू किया कि वे सीटू को छोड़कर इंटक में शामिल हों. पुलिस और इंटक के गुंडे मजदूरों को घसीट कर मैनेजरों के बंगलों में ले गए और उन्हें बुरी तरह से पीटा. आतंकित करने के नजरिये से महिला कामगारों के साथ बलात्कार किया गया व उन्हें सताया गया. पुलिस, इंटक, चाए बागान के मैनेजरों तथा 'विदेशी विरोधी' आंदोलन के पृथकतावादियों ने मजदूरों और उनकी महिलाओं पर बर्बरता ढाने के लिए खुल्लम-खुल्ला संयुक्त मंच बनाया जबकि सरकारी अधिकारी मूक बने सब कुछ देखते रहे. कड़वे संघर्ष की आग में तपे मजदूरों ने एकजुट होकर संघर्ष किया और गोआलपाड़ा में इंटक का प्रभाव लगभग बिलकुल खत्म कर दिया. 1975-76 में सीटू का झंडा केवल 10 बागान में लहराता था लेकिन अब यह 60 बागों में लहरा रहा है. सैकड़ों की तादाद में सक्रिय मजदूर हैं जिनमें जनजाति महिलाएं और युवतियां अगुवा भूमिका अदा कर रही हैं और ये लाल झंडे की रक्षा कर रही हैं. लोग मजदूरों की धन और अनाज से सहायता कर रहे हैं. जिगी और अन्यों के मामलों को उठाने के लिए वकीलों ने एक समिति बना ली है.

ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति के संयोजक अच्युत डेका की अध्यक्षता में 5 जुलाई को गोहाटी में एक ट्रेड यूनियन सम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें मजदूरों के विभिन्न हिस्सों के 141 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. सम्मेलन ने एस्टेटों में कई प्रतिनिधिमंडल भेजने और सरकार को ज्ञापन देने का फैसला लिया.

बागान मजदूरों में सीटू का गहरा प्रभाव हो गया है. सरकार के कारनामे न केवल संगठन और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों बल्कि संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों पर चार्टर का भी उल्लंघन करते हैं. सीटू ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को एक शिकायत भेजी है जिसमें मांग की गई है कि वह मजदूरों के ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करे. □

हावड़ा में सीटू की जनरल काउंसिल की बैठक

सीटू की जनरल काउंसिल की मीटिंग 21 से 24 अगस्त को बाल्ली, हावड़ा में होगी. सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे.

जनरल काउंसिल में, आम रिपोर्ट पर और पिछले सितंबर में कन्नानौर में हुई इसकी मीटिंग के बाद की कार्यवाहियों और संगठन की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी. पिछले इस समय के दौरान सीटू की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा और एकजुट आंदोलन और उद्योग-व्यापी संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा. मीटिंग में, सीटू के पांचवे अधिवेशन को आयोजित करने के बारे में और मद्रास में हुई सीटू के चौथे अधिवेशन में संविधान में हुए संशोधन के अनुसार सीटू अधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव के तरीके पर भी विचार किया जाएगा.

25 अगस्त को उद्योगव्यापी बैठकें आयोजित की जाएंगी, सीटू की वर्किंग कमेटी की बैठक 21 अगस्त को 2 बजे होगी और जनरल काउंसिल की बैठक 4 बजे होगी.

स्वागत समिति का पता निम्नलिखित है :

कामरेड हरी साधन मित्रा
11, धर्मतल्ला लेन,
हावड़ा-2 (पश्चिम बंगाल)

प्रधानमंत्री के बयान की सीटू द्वारा निंदा

सीटू महासचिव, पी. राममूर्ति ने 11 जुलाई को निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

प्रधानमंत्री ने 10 जुलाई की प्रेस कानफ्रेंस में यह सही फरमाया कि पाकिस्तान के आधुनिकतम तथा भयानक आक्रामक जंगी हवाई जहाज एफ-16 हासिल करने से भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव बढ़ गया है. लेकिन, वास्तविक अपराधी अमरीकी साम्राज्यवाद का नाम लेने और उसकी भर्त्सना करने से प्रधानमंत्री ने किनाराकशी की है. भारत तथा पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के हाल में जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया था कि हर देश को इस बात का अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हथियार हासिल करे. इस संदर्भ में उन्होंने इस बयान का औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की है जो बेमतलब है. भारत के विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा से ठीक पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री आगाशाही अमरीका से एफ-16 विमानों के सौदे की बातचीत करके लौटे थे और यह सब जानते थे कि नरसिंह राव के पाकिस्तान से वापस लौटने के तुरंत बाद सौदे को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रपति रीगन का एक प्रतिनिधि पाकिस्तान पहुंचने वाला था. इन हालात में, यह जरूरी था कि हमारे विदेश मंत्री बिना किसी लाग-लपेट के साफ-साफ शब्दों में यह कहते कि हम पाकिस्तान में हथियार मंगाने का दृढ़तापूर्वक विरोध करते हैं.

अमरीकी सरकार से सख्त शब्दों में भी विरोध प्रकट करने से, कोई फायदा नहीं होगा. जरूरत इस बात की है कि हमारे देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा उपस्थित किए गए इस भयानक खतरे के खिलाफ देश भर की जनता को जागृत किया जाए. लेकिन न तो प्रधानमंत्री और न ही उसकी पार्टी ऐसा करने में समर्थ है क्योंकि उनकी नीतियां, पश्चिमी, खासतौर से अमरीकी सहायता और मुख्यतः अमरीकी पैसे पर टिकी विश्व बैंक, आई एम एफ तथा दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं की सहायता पर अधिकतर निर्भर करती हैं.

कुछ चुनी हुई वस्तुओं की थोक कीमतों के आधार पर गढ़े गये मुद्रास्फीति के झूठे आंकड़ों को पेश करके उन्होंने देश की जनता का अपमान किया है जबकि 1980 में उनके सत्ता में आने के बाद से ही आम आदमी की जरूरियात की हर वस्तु के दाम आसमान छूने लगे हैं. चावल, तिलहन, दालों, पकाने के तेलों, कपड़ा, मिट्टी का तेल, चीनी आदि की कीमतें इन अठारह महीनों में तकरीबन दुगुनी हो गयी हैं. केवल पिछले सप्ताह में ही सरकार ने स्वयं जनता कपड़े की कीमत में 75 से 83 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी है.

अपनी प्रेस कानफ्रेंस के अगले दिन से ही सरकार ने मिट्टी के तेल और डीजल सहित सभी पैट्रोलियम उत्पादनों की कीमतों में भारी वृद्धि कर दी है. इसके फलस्वरूप यातायात के खर्चे में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी और जरूरियात की चीजों की कीमतें और भी चढ़ जाएगीं.

सरकार ने 15 लाख टन गेहूं तथा भारी तादाद में चीनी और खाने के तेलों का आयात करने का फैसला एक बहुत अच्छी फसलवाले साल में किया है, जबकि अभी कुछ महीनों पहले तक कृषि मंत्री ढोल पीटते फिर रहे थे कि इस साल इन्हीं चीजों के अतिरिक्त उत्पादन का नियति किया जाने वाला है, साफ दर्शाता है कि इस सरकार के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था किस तरह घपले में पड़ गयी है. घरेलू खरीद दरों की तुलना में बहुत ऊंची दरों पर इन मालों का आयात, भारी व्यापार घाटे की स्थिति में विदेशी मुद्रा का यह भारी अपव्यय यही दिखाता है कि सरकार भारतीय तथा विदेशी इजारेदारों, जमाखोरों और चोरबाजारियों की राष्ट्र-विरोधी-समाजविरोधी कार्यवाहियों पर जो कि देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही हैं, अंकुश लगाने में पूरी तरह असफल रही है.

उनका यह बयान कि गैर-कांग्रेस (आई) राज्य सरकारों, खासतौर से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल की वाममोर्चा तथा वाम-जनतांत्रिक मोर्चा सरकारों को गिराने का उनका कोई इरादा नहीं है, अविश्वसनीय है. उनकी शह में उनके मन्त्रिमंडल के सदस्यों से लेकर नीचे तक, उनकी पार्टी के लोग, इन सरकारों के खिलाफ दुष्प्रचार और धमकियों की मुहिम चलाए हुए हैं.

गढ़वाल संसदीय चुनाव क्षेत्र में, चुनावों में हुई धांधली बताती है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जनतंत्र को खत्म करने तथा तानाशाही थोपने के अपने अभियान के जरिए खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकती है.

सीटू ने, सभी ट्रेड यूनियनों, जन संगठनों, राजनैतिक पार्टियों और व्यक्तियों से, देश के सामने उपस्थित इन संकटों के खिलाफ जनता को जागृत करने और इन जनविरोधी इजारेदार तथा बहुराष्ट्रीय कंपनी-समर्थक तथा अन्य निहित स्वार्थों के खिलाफ संघर्ष का बीड़ा उठाने की, अपील की है. □

कीमतवृद्धि के खिलाफ महिलाओं का प्रतिरोध

इसी दौरान आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमैन सहित कई महिला संगठनों की नई दिल्ली में 21 जुलाई को एक बैठक हुई जिसमें हाल ही में पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि किए जाने पर केंद्रीय सरकार की आलोचना की गई.

बैठक ने सभी महिलाओं और उनके संगठनों का आह्वान किया है कि वे एकजुट होकर इन जनविरोधी कदमों का विरोध करें तथा इसके लिए एक लगातार अभियान जारी करें ताकि सरकार अपनी गलत आर्थिक नीतियों को संशोधित करने के लिए मजबूर हो. □

राज्यों में संयुक्त ट्रेड यूनियन सम्मेलन

कई राज्यों में राज्य स्तर की अभियान कमेटियां बनाई जा चुकी हैं और कीमत वृद्धि व सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों के बंबई में 4 जून को संपन्न राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

राजस्थान अभियान कमेटी ने राज्य सम्मेलन 9 अगस्त को जयपुर में आयोजित करने का फैसला किया. लेकिन इस क्षेत्र में बाढ़ के कारण सम्मेलन कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य सम्मेलन 6 सितंबर को क्रमशः भोपाल, लखनऊ और पटना में आयोजित किए जाएंगे. बिहार की अभियान कमेटी ने यह तय किया है कि जिला स्तर सम्मेलन 31 अगस्त तक पूरे कर दिए जाएंगे.

कर्नाटक सम्मेलन 23 अगस्त को बंगलौर में होगा जिसके लिए एक कमेटी बना दी गयी है. जिसके एस. सूर्यनारायण राव व सी नजुंदप्पा (सीटू), बाबू मैथ्यू व ए. सुब्बाराव (एटक) तथा एच. एम. एस व बी. एम. एस के. एक एक प्रतिनिधि संयोजक हैं.

कलकत्ता में 29 जून को हुई एक बैठक में पश्चिम बंगाल अभियान कमेटी का निर्माण सीटू, एटक, बीपीटीयूसी, टीयूसीसी, एच एम एस, बी एस एस, 12 जुलाई कमेटी और मर्कंटाइल के प्रतिनिधियों सहित हुआ. इसने 30 अगस्त को कलकत्ता में राज्य सम्मेलन आयोजित करने और इसे केंद्रीय सरकार की गैर जनवादी नीतियों के खिलाफ एक जुझारू हथियार बनाने का फैसला किया.

तमिलनाडु और महाराष्ट्र सम्मेलन क्रमशः कोयंबतूर और पूने में आयोजित किए जाएंगे. लेकिन इनकी तारीखें अभी नियत नहीं की गई हैं.

हरियाणा, पंजाब, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में सम्मेलन आयोजित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. इस दिशा में कई राज्यों में काफी प्रगति होने के समाचार मिले हैं.

अखिल भारतीय सम्मेलन में तय किए गए कार्यक्रम, इसके प्रस्ताव और घोषणापत्र कई भाषाओं में प्रकाशित किए जा चुके हैं और इन्हें भारी स्तर पर लोकप्रिय बनाया जा रहा है. कुछ फेडरेशनों, जो अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग नहीं ले सकी थीं, अब शामिल हो गई हैं और अन्य संगठनों के साथ मिल कर राज्य सम्मेलनों की तैयारियां कर रही हैं. □

फरीदाबाद की जे. बी. इलेक्ट्रोनिक्स में संघर्ष

70 दिनों के कड़वे संघर्ष के बाद मजदूरों ने, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की. जैसे ही मजदूरों ने अपना मांगपत्र पेश किया तो बदले में मालिकान ने 5 मजदूरों को मुअत्तिल कर दिया और 5 अप्रैल को, मजदूरों को अपने नियमित दिन (4 अप्रैल) को वेतन का भुगतान किए किए बगैर ही, फैक्ट्री में ताला लगा दिया.

मालिकान द्वारा दूसरे लोगों को काम पर लगाने की चाल को धराशायी करने के लिए तपती धूप, आंधी और ओलों को सहते हुए मजदूरों ने फैक्ट्री गेट पर लगातार धरना जारी रखा.

धरने के 57 वें दिन पुलिस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया. औपचारिकता बनाए रखने के लिए 4 महिला पुलिस वहां मौजूद थीं लेकिन एस एच ओ और अन्य पुरुष सदस्यों ने कामगार महिलाओं पर बर्बरता से हमला किया जिससे दो को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था.

कामगार महिला समिति, सीटू और अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा हस्तक्षेप करने पर 3 जून को एक जबरदस्त गेट मीटिंग हुई और बिरादराना समर्थन बढ़ाने के लिए 9 जून को एक शानदार प्रदर्शन किया गया. मालिकान को मुख्य मांगों पर समझौता करने को बाध्य होना पड़ा और विजयी होकर मजदूर अपने काम पर लौट आए लेकिन कुछ छोटे मुद्दों को अभी भी हल करना बाकी है. □

कोयला मजदूरों द्वारा प्रदर्शन

दो हजार से भी ज्यादा कोयला मजदूरों ने धनबाद क्षेत्र में ई सी एल के मुगमा क्षेत्र के कार्यालय के सामने 10 जुलाई को एक प्रदर्शन किया. कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया (सीटू) के नेतृत्व में 31 मजदूर ई सी एल में ठेका, अनियमित और आकस्मिक मजदूरों और अध्यापकों को स्थायी करने, छंटनी किए गए मजदूरों की पुनः बहाली और आवास तथा पानी की सुविधाएं आदि की अपनी मांगों के समर्थन में, क्रमिक भूख हड़ताल पर और डी. एन. सिंह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए.

सी एम एस आई के नेतृत्व में ही खास कर्नपुरा कोलियरी, स्याल, हजारीबाग के मजदूरों ने, 30 जून को, मालिकान को, जन प्रदर्शन के जरिए एक 6-सूत्री मांगपत्र पेश किया जिसमें बिजली, पानी, कोयला, सफाई की सुविधाएं और मजदूरों के स्कूल जानेवाले बच्चों के लिए यातायात की सुविधाएं, आदि शामिल हैं. □

भवानी मिल के मजदूर जीते

अबोहर (पंजाब). पिछले दिनों भवानी मिल के मालिकान ने सीटू से संबद्ध डबलिंग के मजदूरों का गेट बंद कर दिया था, इस पर क्षुब्ध होकर डबलिंग विभाग के तमाम मजदूरों ने विभाग बंद कर दिया. जब मालिक ने सीटू से संबद्ध मजदूरों को वापस लिया तभी खाते का काम शुरू हो सका. सीटू के का० पूरनसिंह ने मालिकों की मनमानी के खिलाफ एकजुटता के लिए तमाम मजदूर साथियों को बधाई दी. □

ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों के लिए सरकारी कर्मचारियों का संघर्ष

केंद्र सरकार कर्मचारियों को ऐसे नियमों का शिकार बनाया गया है जिससे दंडदायक साधनों को उकसाये बिना वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकते. उन्हें हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है. किसी भी ट्रेड यूनियन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के खिलाफ उन पर कार्यवाही की जा सकती है.

आचार नियम इतने अस्पष्ट हैं कि नौकरशाही किसी भी कार्यवाही को नियमों का उल्लंघन बता सकती है. क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील नियम इस प्रकार के हैं कि कर्मचारियों के खिलाफ बिना किसी पर्याप्त कारणों के और कर्मचारियों को अपना बचाव करने का अधिकार दिए बिना ही कानूनी कार्यवाही की जा सकती है. यह एविडेंस कानून के प्रावधानों को पूरी तरह से अनदेखा कर सकती है. मनचाहे जुर्माने के खिलाफ कर्मचारियों को जो अवसर दिया जाता था उसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया. बुनियादी नियमों में एक ऐसा प्रावधान जोड़ दिया गया है जिसके तहत किसी भी ट्रेड यूनियन गतिविधि में भाग लेने से चाहे वह केवल 5 मिनटों के लिए ही क्यों न हो एक सरकारी कर्मचारी की सेवा में अपने आप ही ब्रेक माना जाता है और इसके फलस्वरूप कुछ लक्ष्यों के लिए उस कर्मचारी की पिछली समूची सेवा को अमान्य कर दिया जाता है और साथ ही उसकी पूरे दिन की तनख्वाह काट दी जाती है.

दूसरे शब्दों में केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए किसी अन्याय या किसी जायज मांग के स्वीकार न किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन करना बिलकुल असंभव बना दिया है. अस्थायी सेवा का नियम 5 'किराये पर लो और डांट पिलाओ' की पद्धति के कानून के अलावा और कुछ नहीं है. दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार कर्मचारियों को वे सभी अधिकार दिये गए हैं जो औद्योगिक विवाद कानून के तहत मजदूरों को दिए गए हैं. केरल में राज्य सरकार कर्मचारियों पर सेवा में ब्रेक का नियम और वेतन कट नहीं इस्तेमाल किया जाएगा यदि किसी हड़ताल में बहुसंख्य कर्मचारी भाग लेते हैं.

केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के आंदोलनों को बर्बरता के साथ दबाया गया है. बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां, एक दम बर्खास्तगी, नौकरी से निकाल देना और लगातार दंड देना केंद्रीय सरकार कर्मचारियों की 1960, 1968 और 1970 की हड़तालों के दौरान बेरोकटोक इस्तेमाल किए गए. केंद्रीय सरकार कर्मचारियों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार भी नहीं दिया गया है.

इस परिस्थिति में सरकारी कर्मचारियों की कनफेडरेशन ने छः-सूत्री मांग पत्र और गतिविधियों का कार्यक्रम तैयार किया है. ए. आई. डी. ई. एफ ने भी इसी प्रकार के मांग पत्र अपनाए हैं. अगर सरकार दो पदोन्नतियों पर समझौते को लागू करने से इनकार करती है तो ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए और अपनी मांगों के समर्थन में एन एफ पी टी ई भी संघर्ष की तैयारियां कर रही है. कनफेडरेशन ने आह्वान किया है कि जहां कहीं भी केंद्रीय सरकार कर्मचारी असंगठित हैं उन्हें यूनियनों व एसोसिएशनों में संगठित किया जाए और विभिन्न संगठनों की तालुक, जिला और राज्य स्तर की समन्वय समितियां बनाई जाएं ताकि बड़े से बड़े स्तर पर संघर्ष को जारी रखा जा सके तथा मांगों को लोकप्रिय बनाने व कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए राज्य स्तर के सम्मेलन आयोजित किए जा सकें. □

सिंपलेक्स के मजदूरों पर दमन की पुरजोर निंदा

सीटू के महासचिव पी राममूर्ति ने 23 जुलाई को एक प्रेस बयान जारी कर मध्यप्रदेश सरकार से मांग की है कि भिलाई स्थित सिंपलेक्स के मजदूरों पर जारी बर्बर दमन फौरन बंद किया जाय. गिरफ्तार किये गये तमाम मजदूर नेताओं को फौरन रिहा किया जाय और बातचीत के जरिये मजदूरों की जायज मांगें फौरन तय की जाय.

भिलाई में सिंपलेक्स के प्रबंधकों के इशारे पर पुलिस के किराये के गुंडे मजदूरों को आतंकित करते आ रहे थे. यहां के मजदूरों को न्यूनतम वेतन के तहत मिलनेवाला वेतन तो दिया नहीं जाता, लेकिन उन्हें डरा-धमका कर उस पर हस्ताक्षर करा लिये जाते है. प्रबंधक स्थायी कार्यों के लिए भी ठेका मजदूर रखते हैं. जब मजदूरों ने इन धांधलियों के खिलाफ ज्ञापन दिया तो बौखलाये हुए प्रबंधकों ने अनेक मजदूरों को डिसमिस कर दिया. जब मजदूरों ने बर्खास्त साथियों की बहाली के लिए टूल डाउन हड़ताल की तो पुलिस और गुंडों की मदद से मारपीट अंधाधुंध लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया. मध्यप्रदेश सीटू के अध्यक्ष पी के मोइत्रा समेत अनेक साथियों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जमानत पर भी रिहा करने से इन्कार किया जा रहा है. जिन गुंडों ने संघर्षरत मजदूरों और यहां तक कि उनके परिवार की महिलाओं पर घातक हमले किये हैं वे मुक्त हैं. गुंडों के हमलों के कारण साथी दतनाथ, पूनम, लच्छीराम तथा अरुण गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ा. □

सीटू प्रतिनिधिमंडल द्वारा सोवियत संघ का दौरा

आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस (ए यू सी सी टी यू) के निमत्रण पर सीटू सचिव एम. के. पंधे और उपाध्यक्ष, क. रमणी के एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 9 से 16 जून तक सोवियत संघ का दौरा किया. प्रतिनिधिमंडल का स्वागत, रूस के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप-मुखिया, त्रुबनीकोव और ए. यू. सी. सी. टी. यू. के अंतर्राष्ट्रीय विभाग से सी. तुधीकोव ने किया था.

अपने दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल अल्यानोव्स्क, जो लेनिन का जन्म स्थान है, देखने गया. वहां पर अल्यानोव्स्क रीजनल कमेटी के सदस्यों के साथ उस इलाके की रीजनल कमेटी और श्रम प्रशासन के कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई. प्रतिनिधिमंडल दीमित्रोवग्राद शहर जहां मोटर गाड़ी के पुर्जों की एक बड़ी फैक्ट्री है, गया और वहां की ट्रेड यूनियन से रूस में फैक्ट्री प्रशासन के काम के बारे में चर्चा की. प्रतिनिधिमंडल ट्रेड यूनियनों द्वारा चलाए जा रहे छोटे बच्चों का स्कूल देखने भी गया. प्रतिनिधिमंडल राज्य प्रायोगिक खेत देखने गया जहां लगभग 1400 मजदूर काम करते हैं और यूनियन के लीडरान से राज्यखेत के काम और ट्रेड यूनियन संगठन की समस्याओं पर चर्चा की. उन्होंने यूनियन द्वारा चलाए जा रहे तकनीकी स्कूल और फाम प्रशासन भी देखा.

प्रतिनिधिमंडल, वोल्गा नदी के किनारे पर ट्रेड यूनियन द्वारा चलाए जा रहे होलीडे होम देखने गया और सोवियत मजदूरों द्वारा अपनी छुट्टी बिताने के ढंग का अध्ययन किया. उन्होंने ट्रेड यूनियनों द्वारा चलाए जा रहे कल्चरल पैलेस, बच्चों का पुस्तकालय और पायनियर हैडक्वार्टर्स का भी निरीक्षण किया.

प्रतिनिधिमंडल ने, लेनिन के जन्म शताब्दी के अवसर पर एक विशेष यादगार प्रार्थना में लेनिन की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर चलायी गई विशेष प्रदर्शनी भी देखी जिसमें रूस के क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास दिखाया गया था.

प्रतिनिधिमंडल ने चारों तरफ यह देखा और पाया कि सोवियत लोगों के दिलों में भारतीय लोगों के लिए गहरी आस्था है.

प्रतिनिधिमंडल के मास्को लौटने पर ए यू सी सी टी यू के सचिव ए. एम. सुब्बोतीन ने ए यू सी सी टी यू की कार्यवाहियों पर विस्तृत चर्चा की. प्रतिनिधिमंडल ने भारत के हालात और सीटू की विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप-मुखिया, अनानेव और ए यू सी सी टी यू के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के सी. तुभीकोव भी बातचीत के दौरान मौजूद थे.

प्रतिनिधिमंडल ने ए यू सी सी टी यू को सीटू की ओर से एक भेंट दी. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि यात्रा लाभदायक रही और दोनों संगठनों के बीच शुरू किए गए वार्तालाप भविष्य में भी जारी रहें जिसमें बिरादराना संबंधों को और मजबूती प्रदान की जा सकेगी. □

सीटू प्रतिनिधिमंडल की चीन यात्रा

सीटू उपाध्यक्ष, सी. कन्नन, सीटू के वर्किंग कमेटी के सदस्य आर. उमानाथ और लक्ष्मी सेन सहित 3 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 21 जुलाई को रंगून के रास्ते चीन को रवाना हुआ. प्रतिनिधिमंडल को आल चाइना फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस ने निमंत्रण दिया था. प्रतिनिधिमंडल चीन में दो सप्ताह ठहरेगा और यह चीनी ट्रेड यूनियनों के आपसी हितों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करेगा और सीटू तथा ए. सी.-एफ. टी. यू. के बीच बिरादराना संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा.

दो दशकों के बाद भारत का यह पहला ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिमंडल है जो चीन गया है. आल चाइना फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस ने इंटक और एच. एम. एस. को भी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का निमंत्रण दिया है. □

सोनीपत के उपायुक्त को ज्ञापन

सोनीपत, 10 जुलाई. सीटू की सोनीपत जिला कमेटी की ओर से उपायुक्त को दिये गये ज्ञापन में मांग की गयी है कि हिल्टन रबर फैक्टरी, राई के मजदूरों के साथ फौरन न्याय किया जाय क्योंकि मालिक और प्रशासन की मजदूर-विरोधी नीतियों के कारण मजदूर और उत्पादन कार्य दोनों कठिनाई में हैं. एवन साइकिल फैक्टरी में हुआ समझौता फौरन लागू किया जाय, आमैंडम बल्ब फैक्टरी के मजदूरों के साथ हुए फैसले को भी फौरन ही अमली शक्ल दी जाय तथा मजदूरों के जायज संघर्षों को कुचलने की गरज से फैक्टरियों को पुलिस छावनियों की शक्ल दे डालने की मेहनतकशविरोधी परंपरा फौरन खत्म की जाय. □

नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन में समझौता

नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन में इंसेंटिव बोनस पर चल रहे विवाद पर एक समझौता हुआ है. सभी सात यूनियनों जिसमें सीटू, एटक, डी एम के और इंटक शामिल हैं ने एक संयुक्त कार्यवाही कमेटी का गठन किया और हड़ताल का नोटिस दिया. दीर्घकालीन बातचीत के बाद एक समझौता हुआ जिसमें मजदूरों को 4 प्रतिशत इंसेंटिव बोनस मिलेगा जबकि मालिकान ने 2 प्रतिशत स्वीकार किया था. □

जरूरी सूचना

सीटू मजदूर से पत्र व्यवहार करते समय और मनीआर्डर भेजते समय कृपया अपना नाम और पूरा पता अवश्य लिखें

—मैनेजर

ग्रामीण असंगठित मजदूरों की विपत्तियां

एक साल निष्क्रिय रहने के बाद सरकार ने जल्दी में ग्रामीण असंगठित मजदूर पर केंद्रीय स्थायी समिति की एक बैठक 8 जुलाई को बुलाई जिसके लिए केवल चार दिन का नोटिस दिया गया. इससे भी बेहूदा बात यह थी कि कार्य-सूची का नोट 1 जुलाई, 1980 की पिछली बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों से संबंधित नहीं था. श्रममंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की.

सीटू प्रतिनिधि नृसिंह चक्रवर्ती ने इस पर गहरा प्रतिरोध जाहिर किया कि बैठक लापरवाही के साथ बुलाई गई है और यह बताया कि पिछली बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे. यह तय किया गया था कि जंगल मजदूरों के बारे में गहराई के साथ अध्ययन किया जाएगा क्योंकि अभी भी बंधुवा मजदूर हैं. यह भी निर्णय किया गया था कि बंधुवा मजदूर प्रणाली (खात्मा) कानून में उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे जिससे बंधुवा मजदूरों और अंतर्राज्यीय चल श्रम के भी पुर्नवास के लिए एक सुगठित योजना के कार्य के लिए मशीनरी बन सके और जिसके बनने तक ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों सहित केंद्रीय सुझाव समिति बनाई जाएगी तथा ग्रामीण असंगठित श्रम पर एक केंद्रीय बिल, जो लिखा जा चुका है और स्वीकृत हो चुका है, जल्दी ही संसद में पेश किया जाएगा. संसद में पेश किया जाएगा. उन्होंने संकेत किया कि कोई भी स्थायी समिति इन फैसलों को जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया था, लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के ब्यौरे के बिना कुछ काम नहीं कर सकती. उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार ने अंतर-राष्ट्रीय श्रम संगठन की कनवेंशन नं० 95, 129 और 131 को अभी तक नहीं अपनाया है और बंधुआ मजदूरों पर मौजूदा कानून आई एल ओ के मानकों को पूरी तरह नहीं मानता है.

कार्यसूची के दस्तावेजों और आम बहस, जो कुछ देर चली, से चिंताजनक हालत का पता चला. असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, आदि कांग्रेस (आई) शासित कई राज्यों में न्यूनतम वेतन में 1974,1975,1976 से संशोधन नहीं हुआ है. उन राज्यों में भी जिनमें 1979 से जो कुछ थोड़ी वृद्धि हुई है, वास्तविक वेतन आसमान छूती कीमत वृद्धि के कारण कम हुई है. इसके अलावा कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं है जो सरकार द्वारा तय मामूली न्यूनतम वेतन को लागू करा सके. महंगाई भत्ते की पद्धति, जो कीमतवृद्धि के खिलाफ कुछ राहत देती है, केवल पश्चिम बंगाल और केरल में लागू की गई है. एक अनुमान से यह पता चलता है कि 25 लाख बंधुवा मजदूर मौजूद हैं जिनमें से केवल 1.25 लाख ही पहचाने जा सके हैं. पहली बैठकों की भांति इसमें भी कई ने यह शक जाहिर किया क्या वाकई उनके पुनर्वास पर खर्च की गई राशि से उनको कोई लाभ पहुंचा है. यह भी बताया गया कि कार्यसूची के दस्तावेजों में शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सारे साल नौकरी सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है—क्योंकि 38.7 करोड़ लोग जिनमें 50 प्रतिशत महिलाएं हैं गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं. इसी तरह ग्रामीण गरीबों को संगठित करने में सबसे बड़ी अड़चन शिक्षा की कमी नहीं बल्कि जमींदारों द्वारा पुलिस के साथ सांठगांठ करके दमन है जो खासतौर पर हरिजनों और जनजातियों पर किए जाते हैं और उन पर तब हत्याएं, बलात्कार और लूटपाट से जुल्म ढाए जाते हैं जब वे अपनी भूमि, बेहतर वेतन और सामाजिक दमन के खात्मे के लिए स्वयं को संगठित करते हैं. बहस का समापन करते हुए राज्य श्रम मंत्री ने घोषणा की कि अगली बैठक सितंबर में पूरी तैयारियों के साथ आयोजित की जाएगी.

बैठक ने सीमित लक्ष्य ही पूरा किया. कुछ हद तक, इसने सरकार में नेतागण की ग्रामीण गरीबों के प्रति पाखंडी चिंता को बेनकाब किया. □

बीड़ी, सीगार मजदूर संघर्ष की राह पर

आल इंडिया बीड़ी एंड सीगार वर्कर्स कमेटी (सीटू) की, विमल रणदिवे की अध्यक्षता में, 20 और 21 जून को मद्रास में हुई एक बैठक में बीड़ी और सीगार मजदूरों ने एक देशव्यापी आंदोलन चलाने का निश्चय किया है.

राज्यों में निर्धारित किया गया न्यूनतम वेतन 4.50 रुपये प्रति दिन के लगभग है. केवल संगठित संघर्षों के जरिए ही, कुछ राज्यों में मजदूर, सरकार द्वारा निर्धारित वेतन से कुछ अधिक पाने में समर्थ हुए हैं. कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में मजदूरों ने जबरदस्त आंदोलन व हड़ताल धरना आदि किए और न्यूनतम वेतन में कुछ बढ़ोतरी हासिल की. बीड़ी और सीगार मजदूर (रोजगार की दशाएं) कानून कई राज्यों में लागू नहीं किया गया है. मालिकान ने ठेकेदारों और दलालों को काम देना शुरु कर दिया है जिससे मजदूर असहाय होते जा रहे हैं.

बैठक में, 1,000 बीडियों के लिए 12 रुपये और 1,000 सीगारों के लिए 20 रुपये राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करवाने के लिए एक आंदोलन तैयार करना तय किया गया है. अन्य मांगों में, उपभोक्ता कीमत सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता, प्रोविडेंट फंड और ई. एस. आई. स्कीम को लागू करना, बीड़ी और सीगार मजदूरों के कानून को लागू करना, ठेका प्रणाली का खात्मा, कल्याणकारी योजना को लागू करना, समान काम के लिए समान वेतन, आदि मांगें शामिल हैं.

25 अगस्त को प्रदर्शन, धरने और रैलियां आयोजित करके अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया जाएगा. अगले अधिवेशन के दौरान मजदूर राज्य विधानसभाओं के सामने भी प्रदर्शन करेंगे. □

तमिलनाडु का टैक्सटाइल व हैंडलूम उद्योग : कम वेतन व ज्यादा काम

स्वतंत्रता से पहले, 'स्वतंत्र बुनकर' जो करघों के मालिक थे और अपने आप ही काम करते थे, 84 प्रतिशत थे जबकि बाकी सभी वेतन के लिए काम करते थे. बहुसंख्यक बुनकर आर्थिक हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सके और इस तरह से मजदूर बन गए. आज 90 प्रतिशत हथकरघा बुनकर मजदूर हैं.

तमिलनाडु में टैक्सटाइल मिलों की संख्या 1946 में 67 थी जो 1980 में बढ़कर 212 हो गई. इस समय के दौरान तकलियों की संख्या 16 लाख से बढ़कर 51 लाख हो गई और करघों की संख्या 8 हजार से बढ़कर 12 हजार हो गई. लेकिन मजदूरों की संख्या 1946 में एक लाख 50 हजार से गिर कर 1980 में एक लाख 25 हजार हो गई.

1970 के दौरान मजदूरों द्वारा एकजुट और कठिन संघर्षों के जरिए हासिल वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि को रोकने और पहले से ही ज्यादा मुनाफे में और वृद्धि करने के लिए मालिकान ने शोषण के नये तरीके अपनाए. पहले, मिलाने से कताई तक 1 हजार तकलियों के लिए 12 से 18 मजदूर होते थे, लेकिन अब 3 से 4 मजदूरों को यही काम करने के लिए मजबूर किया जाता है. मदुराई सेंटेनरी मिल में एक मजदूर को 1540 तकलियां संभालनी पड़ती है जबकि कोयंबतूर क्षेत्र में यह संख्या 1400 है.

लगभग 350 नई मिलें वेस्ट काटन मिल्स के नाम पर चलाई गईं. राज्य में लगभग 35 हजार पावरलूम हैं जबकि केवल 10 हजार को ही लाइसेंस प्राप्त हैं. फैक्ट्री कानून और टैक्सटाइल कंट्रोल कानून के विपरीत, ये फैक्ट्रियां हैंडलूम उद्योग के लिए प्रतिद्वन्दी बन गई हैं. इन पावरलूमों और वेस्ट काटन मिलों में उत्पादित सूत और कपड़े को मिल मालिकान अपनी नियमित फैक्ट्रियों के उत्पादनों की तरह बेचते हैं. इस तरह गैरकानूनी कार्यवाहियों के जरिए, मालिकान सरकार को चुंगी कर न देकर धोखा देते हैं और मजदूरों को कम वेतन देते हैं तथा उन्हें प्रोविडेंट फंड ई एस आई, अवकाश आदि की सुविधाओं से वंचित किया जाता है.

अधिकतर मजदूरों को अस्थाई तौर पर रोजगार दिया जाता है. उनसे कई सालों तक काम लिया जाता है और कानूनी सुविधाओं से वंचित किया जाता है. उन्हें उत्पादकता बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता है और कार्यभार में वृद्धि का साधन समझा जाता है. उन्हें दो या तीन पारी का काम करने के लिए भी मजबूर किया जाता है लेकिन उन्हें अतिरिक्त समय (ओवरटाइम) की दोगुनी अदायगी के बजाए एकहरा वेतन ही दिया जाता है. नये इसके कारण रोजगार के अवसरों पर असर पड़ता है. ठेकेदारों को स्थाई काम दिया जाता है जिससे रोजगार की संख्या में कमी की जा सके, वेतन कटौती थोपी जा सके और शोषण बढ़ाया जा सके.

बुनियादी वेतन और महंगाई भत्ते को अधिकतम संभव उत्पादकता से जोड़ा जाता है. यदि लक्ष्य पूरा न हो सका तो वेतन और महंगाई भत्ते में कटौती की जाती है. महंगाई भत्ता कीमत में वृद्धि के बदले में दिया जाता है और कीमत सूचकांक से संबंधित है. सलीम राजेंद्र मिल के मुकदमे में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि वेतन और महंगाई भत्ते को उत्पादन और उत्पादकता से नहीं जोड़ा जा सकता. नमना समुद्रम, पुदुकोत्ताई मिलों के मुकदमों में भी हाई कोर्ट ने ऐसा ही फैसला दिया था. द्वितीय वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू करते समय महंगाई भत्ते के एक भाग को बुनियादी वेतन के साथ मिला दिया गया और कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन किया गया. यदि उत्पादकता में 5 प्रतिशत गिरावट आती है तो बुनियादी वेतन, जिसमें महंगाई भत्ते का एक भाग शामिल है में 5 प्रतिशत कटौती की (जाती है कुछ जगहों पर तो यह डेढ़ गुना है).

राज्य की एक मिल में, एक मजदूर 36 करघों की देखरेख करता है और यदि प्रशासनिक कारणों की वजह से भी काम रुक गया तो वेतन रोक दिए जाते हैं. दूसरी मिल में उत्पादकता की गणना 8 घंटे मशीनी उत्पादकता और साढ़े सात घंटे काम के आधार पर की जाती है. लागू करने पर इस फार्मूले के परिणाम स्वरूप 15 से 20 प्रतिशत वेतन कटौती हो जाती है.

60 मिलों में अत्यधिक आधुनिकरण किया जा चुका है. 120 मिलों में पुरानी मशीनों में तबदीली लाई गई है. मशीनों की रफ्तार में भी वृद्धि की गई है. इसके नतीजतन कार्यभार में बड़ी तेजी से वृद्धि की गई. उत्पादन ढाई गुना बढ़ गया है. सुरक्षा के साधनों को ताक पर रख दिया गया है. मजदूरों को 15 मिनट के खाने के अवकाश से भी वंचित किया गया है.

देश में बेरोजगारी की अत्यधिक समस्या के कारण, मजदूरों को मजबूरन अधिक कार्यभार और कम वेतन स्वीकार करने पड़ते हैं और कई बार तो रोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में रिश्वत घूस भी देनी पड़ती है. नौकरी प्राप्त करने के बाद, अत्यधिक कार्यभार का मुकाबला करने में असमर्थ होने के कारण कई मजदूर अपना काम छोड़ देते हैं. राज्य में एक ऐसे ही मजदूर ने अपने माता-पिता के दबाव को सहन न कर सकने पर अपना जीवन समाप्त कर लिया, कुछ तो अपने परिवारों को छोड़कर भाग जाते हैं. शोषण इतना गहन है.

राज्य का श्रम विभाग इन वेतन संबंधी मसलों पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि औद्योगिक विवाद कानून के अंतर्गत दी गई 'मजदूर' की परिभाषा के अनुसार ये मजदूर, मजदूरों की श्रेणी में नहीं आते जिसके कारण उन्हें और भी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं.

तमिलनाडु हैंडलूम वर्कर्स फेडरेशन (सीटू) ने कमेटी आन वेज स्ट्रक्चर इन हैंडलूम इंडस्ट्री के समक्ष मांगपत्र पेश करते हुए राज्य के हैंडलूम मजदूरों के बदतर हालात पर प्रकाश डाला, फेडरेशन ने मजदूरों के वेतन में वृद्धि और महंगाई भत्ते को कीमत सूचकांक के साथ जोड़ने की मांग की है. इसने कमेटी से वेतन निर्धारण कानून द्वारा वेतन-धारी हैंडलूम बुनकरों की पूरी सुरक्षा करने पर तथा यह देखना कि इस कानून के कारण उन्हें कोई कठिनाई न हो पर जोर दिया. □

कम उत्पादन के लिए 'सेल' प्रबन्धक दोषी—सीटू

स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के चेयरमैन द्वारा उत्पादन के प्रश्न पर 17 जुलाई को नई दिल्ली में बुलाई गई एक बैठक में, सीटू प्रतिनिधियों ने, प्रबंधकों द्वारा मजदूरों की जायज मांगों को अनदेखा करने वाली श्रम नीति की कड़ी आलोचना की.

'सेल' के चेयरमैन के. सी. खन्ना के सुझाव कि कोक ओवन विभाग जो इस्पात उद्योग की जान है, को हड़तालों से बचाए रखा जाए की ओर इशारा करते हुए सीटू प्रतिनिधि, एम. के. पंधे ने प्रबंधकों से इस नाजुक विभाग में मजदूरों की शिकायतों को सुलझाने के लिए कोई भी तरीका न बनाने की आलोचना की. उन्होंने बताया कि इस विभाग में मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए कर्मचारियों ने लगातार प्रयत्न किए लेकिन प्रबंधकों ने कोक ओवन विभाग के प्रतिनिधियों से बातचीत करने से इंकार कर दिया. इन हालात में मजदूरों के पास हड़ताली कार्यवाहियों के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता. इसको मध्येनजर रखते हुए इन हड़तालों और उनके कारण उत्पादन की हानि के लिए पूरी तरह से प्रबंधक ही जिम्मेदार थे.

'सेल' के कार्य का ब्यौरा देते हुए सीटू प्रतिनिधि ने ध्यान आकर्षित कराया कि इस्पात के उत्पादन के संदर्भ में जरा भी आत्म-निर्भरता नहीं है और हमारा देश प्रति वर्ष 60 करोड़ रुपयों से अधिक की इस्पात की वस्तुओं का आयात करता है. इसीलिए इस्पात के मामले में देश को जितनी जल्द हो सके आत्म-निर्भर बनाना चाहिए. लेकिन प्रबंधक इस मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं.

इस्पात उद्योग में धांधली और भ्रष्टाचार का ब्यौरा देते हुए सीटू प्रतिनिधि ने बताया कि 'इसको' (आई आई एस सी ओ) में उत्पादन का 28.5 प्रतिशत प्रबधकों द्वारा या तो बिना जांच किए या निम्न-स्तरीय या कुछ कमियां बताकर निजी स्वार्थ लोगों को कम कीमत पर बेचा जाता हैं और इस तरह जबरदस्त मुनाफा कमाया जाता है. इस प्रकार की धांधलियों की वजह से सार्वजनिक उद्योग को क्षति पहुंचती है. उन्होंने यह भी बताया कि कोलियरियों द्वारा भेजे गए निम्न श्रेणी के कोयले को इस्पात प्रबंधक उच्च श्रेणी का बताकर हर साल करोड़ों रुपये ठगते हैं. सीटू, इन धांधलियों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग करता है.

इंटक के प्रतिनिधियों ने इस्पात उद्योग में "राजनैतिक हड़तालों" पर प्रतिबंध लगाने की मांग की. सीटू और एच एम एस के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा कि इस तरह के प्रतिबंध वास्तविक ट्रेड यूनियन आंदोलन में स्वीकारे नहीं जाएंगे.

इस्पात मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में सीटू ने प्रबंधकों के अपेक्षापूर्ण रवैये, जिससे बड़ी संख्या में इस्पात मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, की आलोचना की और मांग की कि प्रबंधक इस्पात उद्योग में मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाएं.

'सेल' के चेयरमैन को यह घोषणा करनी पड़ी कि इस सवाल पर एक महीने के अंदर एक उच्चस्तरीय कमेटी बनायी जाएगी.

दुर्गापुर स्टील प्लांट के विस्तार के संबंध में, सीटू प्रतिनिधियों ने इस मामले में देरी करने की आलोचना की और तुरंत कार्यवाही करने की मांग की जिससे दुर्गापुर प्लांट आत्म-निर्भर हो सके.

सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों की शिकायतों को हल करने के लिए उपयुक्त साधनों की और सभी पड़े हुए मामलों की बिना किसी देरी किए हल करने की मांग की. □

सीटू प्रकाशन

बढ़ता
दमन
शक्ति
संघर्ष !

(हिन्दी में)
लेखक
बी. टी. रणदिवे
अध्यक्ष, सीटू
कीमत : 80 पैसे
मिलने का पता :
सीटू कार्यालय,
6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

एच एस सी एल मजदूरों का अखिल भारतीय मांग दिवस

आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ एच एस एस सी एल एंप्लाईज यूनियन एंड एसोसिएशंज (सीटू) ने 31 जुलाई को अखिल भारतीय मांग दिवस मनाने का आह्वान किया है.

मालिकान द्वारा विभिन्न यूनिटों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करने तथा मजदूरों की दीर्घकालीन मांगों के प्रति अड़ियल रवैया अख्तियार करने से कंपनी के लगभग 25 हजार मजदूरों और कर्मचारियों को मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा.

मालिकान ने पूर्ण दमन करने के लिए मजदूरों के काम के लिए और यहां तक मशीनों को चलाने के लिए भी ठेकेदारों और सह-ठेकेदारों की नियुक्तिया करनी शुरू कर दी है. कंपनी के अफसरान ने ठेकेदारों के साथ अजीबो गरीब संबंध बना रखे हैं जबकि कंपनी घाटे में चल रही है.

मालिकान ने कुद्रेमुख, हैदराबाद, ओब्रा आदि स्थित कंपनी के विभिन्न यूनिटों के 555 मजदूरों और कर्मचारियों की छंटनी की और उनका काम अलग-अलग ठेकेदारों को दिया.

छंटनी किए गए मजदूरों की पुन: बहाली के लिए एक उप-कमेटी गठित की गई. लेकिन यह कमेटी मालिकान के नकारात्मक रवैये के कारण कार्य नहीं कर सकी.

एच एस सी एल की सभी यूनियनों (सीटू, एटक, एच एम एस, इंटक) ने 19 मई को मालिकान को एक संयुक्त मांगपत्र पेश किया और इस अड़ियल मालिकान को बातचीत के जरिए समझौता कराने के लिए बाध्य करने के लिए 22 जून को एक मांग दिवस मनाया.

संयुक्त मांगपत्र में, छंटनी पर रोक, सभी छंटनी किए गए मजदूरों की पुन: बहाली, 75 रुपये की अंतरिम सहायता, ठेका प्रणाली का खात्मा, आदि मांगें शमिल हैं. लेकिन अब, मालिकान के दमनात्मक रवैये ने, मजदूरों को अखिल भारतीय आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर किया है.

केंद्रीय ट्रेड यूनियनें, मजदूरों की मांगों का समर्थन करने और 31 जुलाई को अखिल भारतीय मांग दिवस मनाने तथा संघर्ष को और गति प्रदान करने के लिए आगे आई हैं. □

सीटू की उड़ीसा राज्य कमेटी का तीसरा सम्मेलन

सीटू की उड़ीसा राज्य कमेटी का तीसरा सम्मेलन 13 से 15 जून को भद्राक में संपन्न हुआ जिसका उद्घाटन सीटू सचिव कमल सरकार ने किया.

शिवाजी पटनायक, उपेंद्र गेजा और नित्य किशोर मोहंती के एक अध्यक्ष-मंडल ने सम्मेलन की कार्यवाही चलाई. स्वागत समिति के अध्यक्ष नीराकर जेना ने बताया कि कांग्रेस (आई) के सम्मेलन को विफल करने की कोशिशों के बावजूद किस तरह शहरी व ग्रामीण लोगों के शानदार समर्थन ने इसे जबरदस्त सफल बनाया.

अजेय राउत ने महासचिव की रिपोर्ट पेश की. सम्मेलन में 94 प्रतिनिधियों, 36 प्रेक्षकों और 30 बिरादराना प्रतिनिधियों ने भाग लिया. 31 प्रतिनिधियों ने बहस में हिस्सा लिया. विस्तृत बहस से यह साफ जाहिर है कि सीटू का गौरव बढ़ा है और विभिन्न औद्योगिक और खदान क्षेत्रों के अनेक मजदूर सीटू में शामिल होना चाहते हैं. सम्मेलन में, मजदूरों, किसानों और मेहनतकश जनता के सभी तबकों को एकत्रित करके कांग्रेस (आई) सरकार की अधिनायकवादी नीतियों, जो न्यायपालिका, प्रेस, संसदीय प्रणाली और जनता के ट्रेड यूनियन तथा जनवादी अधिकारों को बदलने की कोशिश में हैं, के खिलाफ जुझारू संघर्ष करने का जोरदार आह्वान किया.

सम्मेलन में, कीमत-वृद्धि, बेरोजगारी, छंटनी, तालाबंदी, बंधुआ मजदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ एकाधिकारी दवा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण पर, जनवादी तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ, बंद मिलों को फिर से चालू करना, राज्य सरकार कर्मचारियों के संघर्षों पर, किसानों के संघर्ष पर, वाम-मोर्चा सरकारों की रक्षा पर प्रस्ताव अपनाये गए.

हजारों की तादाद में मजदूर, किसान तथा विद्यार्थियों के जुलूस, 15 जून के आम अधिवेशन में, जिसे पश्चिम बंगाल के यातायात मंत्री मुहम्मद अमीन तथा कमल सरकार ने संबोधित किया था, शामिल हुआ.

शिवाजी पटनायक व अजेय राउत एक बार फिर राज्य कमेटी के अध्यक्ष और महासचिव चुने गए. □

सीटू की मासिक पत्रिकाओं को पढ़िए
दि वर्किंग क्लास
(अंग्रेजी में)
सीटू मजदूर
(हिंदी में)

एक प्रति की कीमत 50 पैसे
सालाना चंदा छ: रुपये

कम से कम पांच प्रतियों की एजेंसी लिखें :

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली 110001

दक्षिणी कोरिया में मजदूरों के कुलीन नेता

दक्षिण कोरिया में चोन ड्यू ह्वान के फौजी दस्ते जनता का जीने के अधिकार और जनवाद जैसी छोटी मांगों को भी निर्दयता से कुचल रहे हैं. फिर भी पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया के कर्मचारियों ने अपनी लड़ाई को नहीं छोड़ा. उन्होंने सरकार की दुमछल्ली यूनियनों व उनके नेतृत्व को नामंजूर करने की एक शक्तिशाली लड़ाई लड़ी.

तोनगिल टैक्सटाइल मिल के मजदूरों व दक्षिण कोरिया के अन्य मजदूरों ने रेंगती रोकोंग (दक्षिण कोरिया की ट्रेड यूनियनों का महासंघ) के अध्यक्ष की कामगार जनता के हितों के विरुद्ध उसके मनमाने निर्दयी कारनामों की निंदा करते हुए पिछली फरवरी में लड़ाई शुरू की और रोकोंग अध्यक्ष को तुरंत इस्तीफा देने की मांग की तथा उसे अपने पद से हटने के लिए मजबूर किया. उन्होंने उसके पिट्ठुओं को हटाने के लिए भी संघर्ष जारी रखा. चोंगसोन जिले के कोयला खदान मजदूरों ने पिछले वर्ष अप्रैल में कंपनी यूनियन के ब्रांच मुखिया को निकाले जाने और मजदूरी में वृद्धि के लिए अपना संघर्ष शुरू किया जो सरकार विरोधी फिसादी संघर्ष बन गया जिसमें पुलिस स्टेशनों पर हमले करके सैंकड़ों हथियारों और कठपुतली प्रशासन के मुखपत्रों को हथिया लिया गया.

उनका संघर्ष इस बात की एक शक्तिशाली घोषणा थी कि कंपनी यूनियन कर्मचारियों के लिए एक सही संगठन नहीं था और मजदूर इसके नेतृत्व को अब स्वीकार नहीं करेंगे. यह संघर्ष उनके अधिकारों और हितों की देख रेख के लिए एक सच्चे ट्रेड यूनियन संगठन को बनाने का काफी समय पहले का इरादा था.

इन यूनियनों के नेता और उनके चमचे विशेष वर्ग और उनके गुर्गों के सिवाय कुछ भी नहीं हैं जो श्रम रईसशाही के स्तर तक गिर चुके हैं और जिन्होंने कर्मचारियों के अधिकारों और हितों को नकारा है. वे सब मिलिटरी फासिस्ट ग्रुप के दुमछल्ले हैं.

जब जब मजदूर अपने अस्तित्व और प्रजातंत्र की रक्षा में उठे तब तब इन दुमछल्लों ने कठपुतली प्रशासन की तरफदारी करते हुए उनके संघर्षों में रुकावटें पैदा कीं. इससे भी घिनौनी बात यह है कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा योजना एजेंसी ('केंद्रीय खुफिया एजेंसी' के लिए) के नाम पर सभी मजदूर आंदोलनों को खत्म करने और उन पर दमन करने के इरादे से मजदूरों की यूनियन में घुसकर 'यूनियन' के फासिस्ट शासन का समर्थन किया.

श्रमिकों के बीच 'पूंजी और श्रम का सहयोग' का नारा देकर चिल्लाने वाले भी इन 'ट्रेड यूनियनों' के भाड़े के नेता ही थे. मजदूरों ने ऐसे नकाबपोशों की निंदा की जिन्होंने अपने आपको फासिस्ट तानाशाही का पिट्ठू बना दिया. सरकार संरक्षित टैक्सटाइल यूनियन का अध्यक्ष किम, जो यह कहता है कि उसे श्रम आंदोलन में '30 वर्ष का अनुभव' है, तथाकथित 'एकता के लिए राष्ट्रीय कानफ्रेंस', जो एक समय कठपुतली प्रशान की प्रचारक थी, का एक प्रतिनिधि भी है. उसने दक्षिण कोरिया में श्रम आंदोलन को कुचलने के मिलिटरी फासिस्ट ग्रुप की अगुआई की. यहां तक की दक्षिण कोरिया के प्रकाशनों में भी उसका मजाक 'मजबूत मांगों को ताक पर रखकर अपनी स्थिति बनाने वाला स्वार्थी, दंगई, बदमाश और ब्लैक मेल' कह कर उड़ाया गया है. जब मजदूरों ने उसके इस्तीफे की मांग को लेकर संघर्ष छेड़ा तो उसने धमकी दी कि यदि उसको अध्यक्ष पद से हटने के लिए मजबूर किया गया तो वह टैक्सटाइल यूनियन को खत्म कर देगा. इस बात से साफ जाहिर है कि उसे सत्ता से पूरा संरक्षण प्राप्त है.

मजदूरों द्वारा पैसा पैसा करके जोड़ा गया यूनियन चंदे में इन नेताओं ने घोटाला किया. उनको व्यापारिक संगठनों से ऐश की जिन्दगी बिताने के लिए और मजदूर आंदोलन को बेच खाने के लिए पैसा मिलता था.

एक औद्योगिक ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष के भ्रष्टाचारी अध्यक्ष पर्दाफाश करते हुए एक दक्षिण कोरियाई प्रकाशन में लिखा गया :

"अक्तूबर 1979 में जब वह रोकोंग के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी के रूप में आया तो उसने आठ अरब वोन (दक्षिण कोरियाई मुद्रा का नाम) की बैंक पुस्तक को, जो कि टैक्सटाइल यूनियन के मुख्य दफ्तर की विशेष राशि है, गिरवी रख कर पांच अरब वोन चाइल बैंक के ब्रांच आफिस से उधार लिया जिसे उसने शराब व मनोरंजन के दूसरे साधनों पर खर्च किया. फिर भी उसने इस बात की जानकारी उसे न होने का बहाना किया और साथ ही इसकी जिम्मेदारी मुख्य सचिव व अन्य लोगों पर थोप दी'.

इन दुमछल्ली यूनियनों, श्रम रईसशाही और दलालों के नेताओं, जो कभी भी श्रम आंदोलन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, को निकालने के लिए दक्षिण कोरिया के मजदूरों का यह एक सच्चा और सही संघर्ष है.

[शेष पृष्ठ बारह पर]

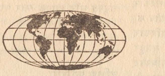

दसवें विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन, हवाना, 1982, के प्रति

17 अगस्त को काला दिवस मनाओ

सीटू, एच एम एस, बी एम एस, इंटक (द्वारा) यू टी यू सी, यू टी यू सी-लेनिन सरणी तथा टी यू सी सी की राष्ट्रीय अभियान समिति ने अपनी 28 जुलाई 1981 की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया.

संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले जारी आवश्यक सेवा अध्यादेश 1981 इस सरकार द्वारा जनवरी 1980 में सत्ता संभालने के बाद मजदूर वर्ग पर किया गया सबसे क्रूर प्रहार है. न केवल अध्यादेश में दी गयी सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है बल्कि सरकार संसद से पूछे बगैर किसी भी उद्योग को आवश्यक सेवा घोषित करने के अधिकार से लैस हो गयी है. इस तरह मजदूर वर्ग को हड़ताल के बुनियादी अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया गया है. अध्यादेश की खासियत यह है कि मालिकान पर किसी भी किस्म की जिम्मेदारी आयद नहीं की गयी है और ये लोग मजदूरों की नौकरियों, वेतन, मजदूरी और सेवा शर्तों के साथ चाहे जो खिलवाड़ कर सकते हैं. मालिकों को दी गयी खुली छूट तथा अध्यादेश के उल्लंघन पर फौरन मुकदमे चलाने के प्रावधान ने भारत के मजदूर वर्ग को बंधुआ मजदूर में बदल दिया है. मजदूरों को अधिकार विहीन करना उनके वेतन, मंहगाई भत्ते तथा उन्हें देय अन्य भुगतानों पर सुनियोजित हमलों की पीठिका है. अपनी मौजूदा नीतियों के कारण मुद्रा स्फीति रोक पाने तथा देश को संकट से बाहर निकाल पाने में सरकार की अक्षमता और अयोग्यता तथा इजारेदारों, बड़े व्यापारी घरानों, विदेशी कंपनियों, जमाखोरों तथा अन्य निहित स्वार्थों को खुश रखने की उसकी नीति के फलस्वरूप ही यह हालत पैदा हुई है.

समिति ने तमाम संबद्धताओं वाली ट्रेड यूनियनों से अपील की है कि वे फौरन इसके विरोध में आंदोलन छेड़े और 17 अगस्त को देश भर में काला दिवस मनाकर इस हमले का करारा जवाब दें. इस समिति ने तमाम जनवादी ताकतों से अपील की है कि वे इस सच्चाई का एहसास करें कि मजदूर वर्ग पर हुए इस हमले में तमाम जनवादी अधिकारों पर होने वाले हमले का संकेत छिपा हुआ है, अतः वे अध्यादेश विरोधी आंदोलन को पूर्ण समर्थन दें.

समिति ने तमाम प्रादेशिक यूनिटों को निर्देश दिये हैं कि वे प्रस्तावित "काले दिवस" को यथोचित तरीके से संयुक्त और व्यापक स्तर पर मनाने के लिए हर संभव यत्न करें. □

दक्षिण कोरिया...

[शेष पृष्ठ ग्यारह से]

यही कारण है कि दक्षिण कोरिया के मजदूरों ने, चोन ड्यू ह्वान के मार-काट वाले फासिस्ट ग्रुप के बावजूद 'ट्रेड यूनियनों में सामान्य स्थिति को बनाने और बढ़ावे के लिए एक समिति' का गठन किया तथा रेंगती ट्रेड यूनियन के नेतृत्व को खदेड़ने और अपने एक सही संगठन की स्थापना के लिए एक जुझारू संघर्ष जारी रखा. □

इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट्स में संघर्ष जारी

सिकंदराबाद (उ० प्र०) इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट्स प्रा० लि०, सिकंदराबाद के प्रबंधकों ने कारखाना बंदी की आड़ में तमाम हड़ताली मजदूरों को काम से हटाने का नोटिस जारी कर दिया है. ध्यान रहे कि यहां के मजदूर वेज बोर्ड द्वारा तय वेतन और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर पिछले 10 महीने से हड़ताल पर हैं. □

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1981		
	मार्च	अप्रैल	मई
बिहार			
जमशेदपुर	395	400	405
झरिया	393	397	403
कोडर्मा	422	427	426
मोंघाइर	446	438	442
नोआमुंडी	406	404	397
गुजरात			
अहमदाबाद	393	406	418
भाव नगर	418	438	442
हरियाणा			
यमुना नगर	457	467	456
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	428	449	460
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	438	447	449
भोपाल	434	447	451
ग्वालियर	438	455	464
इंदौर	458	472	475
महाराष्ट्र			
बंबई	423	435	442
नागपुर	425	435	440
शोलापुर	444	472	471
पंजाब			
अमृतसर	427	442	445
राजस्थान			
अजमेर	444	449	456
जयपुर	456	461	477
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	405	412	420
सहारनपुर	424	430	432
वाराणसी	490	484	480
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	429	435	436
कलकत्ता	385	379	399
दार्जीलिंग	344	347	348
हावड़ा	379	381	385
जलपाइगुरी	338	342	346
रानीगंज	404	412	415
दिल्ली	438	448	453
भारत	420	427	433

समर मुखर्जी द्वारा छंटनी की नीति की आलोचना

रेल मंत्रालय के लिये संसद सदस्यों की सलाहकार समिति की पिछली बैठक और अन्यत्र, संसद सदस्य समर मुखर्जी ने रेलवे में प्रचलित छटनी की नीति की जोरदार आलोचना की. उन्होंने इस बात पर टिप्पणी की कि स्थिति इस मोड़पर रूक गई है कि अधिकारी इस विषय पर कानून को ताक पर रखकर स्टाफ को स्वयं, बचाव का मौका दिये बिना ही उन्हें सजा दे देते हैं.

29 मई की मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में व्यक्त की गई रेल मंत्री की इच्छा के बावजूद, रेलवे में शिकायत निवारक मशीनरी सही ढंग से काम नहीं कर रही है. वे यूनियनें व एसोसिएशनें जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं हैं चाहे वे बहुमत ही लिये क्यों न हो, उनके पास संचार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है. अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है, को भी अपनी 26 मई को हुई वर्किंग कमेटी की मीटिंग में यह प्रस्ताव रखना पड़ा कि समझौतावार्ता मशीनरी वास्तव में नाकाम हो चुकी है.

ऐसे हालात में रेलवे कर्मचारी अपना संपूर्ण गुस्सा विशाल ताकत के प्रदर्शन आदि द्वारा ही दिखाते हैं, परन्तु अधिकारी ट्रेड यूनियन संगठनों में विघ्न डालने के विचार से कर्मचारियों का सजा के रूप में तबादला कर देते हैं. यह नौकरशाही में तानाशाही का स्पष्ट प्रदर्शन है.

रेलवे बोर्ड के दफ्तर में हुई चीफ-मैकेनिकल इंजीनियरों की बैठक में जिसमें मेम्बर मैकेनिकल ने यह कहा बताते हैं कि प्राधिकारियों को तबादला करने का अधिकार है और इस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि प्राधिकारियों का इस तरह का रवैया औद्योगिक विवाद कानून की धाराओं का ही नहीं बल्कि आई एल ओ कनवेंशन न. 87, 91, और 135 का भी उल्लंघन करती है. यह इन उल्लंघनों का ही परिणाम है कि विभिन्न हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई रिट पैटीशनों को स्वीकार किया है और अन्तरिम रोक के आदेश जारी किए हैं. प्राधिकारी अपनी इन बेबुनियाद नीतियों को बदलने के बजाय, वकीलों की फीस तकरीबन दुगुनी करके कानूनी मशीनरी को मजबूत बनाने में लगे हैं ताकि वे इधर-उधर की कह सकें या कम से कम न्यायालयों पर ऐसा प्रभाव बनाये रखें जिससे रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकार के कानूनी-विभाग का सामना करने में कठिनाई आये.

फिर भी यह देखा गया है कि न्यायपालिका अपनी स्वतंत्र प्रतिभा को बचाये हुए है और बार के प्रसिद्ध सदस्य छटनी किये गये कर्मचारियों के समर्थन में आ गये हैं. इस प्रकार बोर्ड का निर्णय सरकारी राजस्व को बरबाद करने के लिये खर्च किया जायगा जबकि श्रम-सम्बन्धों का रुख गिरावट की तरफ ही है. उन्होंने इस नीति को बदलने की मांग की है. □

रेल मजदूरों द्वारा एकता को बढ़ाने के प्रयत्न

12 सदस्यीय पेनेल (कोआर्डिनेशन कमेटी) ने 5 जून को बंबई में बैठक में पिछले साल के एकता को बढ़ाने के प्रयत्नों को और तेजी प्रदान करने का निर्णय लिया गया. क्षेत्रीय पेनेलों के गठन के प्रयत्न शुरु किए गए हैं और पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और एन. एफ. रेलवे में बैठकें भी आयोजित की गई हैं.

7 जुलाई को राउरकेला में, जेड. सी. सी. आर. के तहत रेल मजदूरों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें 4 जून को बंबई में हुए राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन में अपनाए गए प्रस्ताव और निर्णय को लागू करवाने के लिए कदम उठाए जाने पर विचार किया गया.

आल इंडिया कोल, एश. एंड ट्रांशिपमेंट हेंडलिंग मजदूर यूनियन की सालाना बैठक 3-5 जुलाई को समस्तीपुर में हुई जिसमें 3000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया. सांसद समर मुखर्जी ने इसका उद्‌घाटन किया.

13 जुलाई को, ए आई आर एफ से संबंधित यूनियनों के आह्वान पर, 15 हजार से ज्यादा रेल मजदूरों ने वेस्टर्न एंड सेंट्रल रेलवे के बंबई स्थित जनरल मैनेजर के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया. □

एक अजेय शक्ति का निर्माण करो

बंबई में 4 जून 1981 को संपन्न मूल्य-वृद्धि और सरकार की मजदूर वर्गविरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन के दस्तावेज.

भूमिका : बी टी रणदिवे
अध्यक्ष, सीटू

पृष्ठ : 32 मूल्य : 75 पैसे

मिलने का पताः

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड, नयी दिल्ली-110001

बिहार सीटू की बैठक

सीटू की बिहार राज्य कमेटी की एक बैठक 17 से 19 जुलाई को पटना में संपन्न हुई. सांसद मुहम्मद इस्माइल ने इसकी अध्यक्षता की.

बैठक में, पेट्रोलियम पदार्थों की हाल ही में हुई वृद्धि के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की गई और कहा गया कि इससे जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी जिससे आम जनता की कठिनाइयों में और वृद्धि होगी. उन्होंने मजदूरों से कीमत वृद्धि के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया.

राज्य कमेटी ने, राज्य सरकार से 'टिस्को' ठेका मजदूरों के संबंध में बातचीत की कार्यवाहियों की असफलता को जल्दी सूचित करने की मांग की है जिससे इस मसले को श्रम अदालत में भेजा जा सके.

बैठक में, न्यूनतम वेतन पर, वेतन जाम के खिलाफ आदि कई प्रस्ताव अपनाए गए.

इससे पहले 15 जुलाई को राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष हरी कृष्ण ने एक बयान में राज्य श्रम विभाग की हजारीबाग जिले में रांची रोड़ स्थित फायर ब्रिक्स एंड इंसुलेशन कंपनी में बहुमत प्राप्त यूनियन के निश्चय के लिए होने वाले मतदान को इंटक की यूनियन को बचाने के लिए छटपटाहट के कारण स्थगित करने की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने मजदूरों से बिहार श्रम विभाग द्वारा फेरबदल के खिलाफ अपनी जोशीली आवाज बुलंद करने का आह्वान किया. □

उत्तर प्रदेश सीटू की बैठक

सीटू की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी की जुलाई के पहले सप्ताह में लखनऊ में हुई बैठक में सरकार की दमनात्मक और वेतन जाम की नीतियों पर गहरा खेद प्रकट किया गया और मलिकान तथा सरकार द्वारा इंटक यूनियनों की रक्षा के लिए अन्य यूनियनों को तबाह करने की कोशिशों की निंदा की गई.

7 जुलाई को एक बयान में कमेटी के महासचिव दौलतराम ने कहा कि राज्य में 125 से भी ज्यादा सीटू कार्यकर्ताओं को निकाला जा चुका है. मालिकान ने राज्य में ट्रेड यूनियन आंदोलन को कुचलने के लिए ले-आफ, क्लोजर, लाकआउट, आदि को हमेशा इस्तेमाल करने की नीति अपना ली है.

एक प्रस्ताव में, कमेटी ने कानपुर की जे. के. रेयान के मालिकान की गैरकानूनी ढंग से ले आफ करने की नीति की कड़ी आलोचना की. इसमें सरकार के मालिकान हितकारी रवैये की आलोचना की गई क्योंकि मालिकान को ले आफ खत्म करने के लिए मजबूर करने की बजाय सरकार ने 125 मजदूरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.

एक अन्य प्रस्ताव के जरिए, कमेटी ने बुलंदशहर की इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट्स् के मजदूरों को, सरकारी आदेश को लागू करवाने की अपनी मांग के समर्थन में 29 सितंबर 1980 से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बधाई दी.

कमेटी ने, 26 जुलाई से 1 अगस्त तक संपूर्ण राज्य में सरकार की मजदूर वर्ग विरोधी और दमनात्मक नीतियों के खिलाफ विरोध सप्ताह मनाने का भी निर्णय लिया है.

इससे पहले 25 जून को राज्य सीटू के महासचिव, दौलत राम ने, हाल ही में सरकार द्वारा पैट्रोल की कीमतों में वृद्धि की कड़ी निंदा की जिसके परिणामस्वरूप सभी फौरी चीजों की कीमतों में वृद्धि होगी और आम जनता को और बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ेगा. उन्होंने मजदूर वर्ग को अपने जीवन स्तर पर होने वाले कुठाराघात के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया है. □

दिल्ली के मजदूरों द्वारा बेहतर वेतन की मांग

जनरल मजदूर लाल झंडा यूनियन (सीट) का छठा सम्मेलन एक जुलाई को नई दिल्ली में संपन्न हुआ. अजीत भट्टाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की. दिल्ली सीटू के महासचिव, सांसद, सुशील भट्टाचार्य ने इसका उद्घाटन किया.

एक प्रस्ताव के जरिये, सम्मेलन में मजदूरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 500 रुपये, 600 रुपये और 700 रुपये न्यूनतम वेतन तथा 150 रुपये महंगाई भत्ते की मांग की गई. इसमें, अन्य प्रस्तावों सहित ठेका मजदूर प्रणाली के खात्मे और पुलिस दमन के खिलाफ प्रस्ताव अपनाए गए.

दिल्ली सीटू के सचिव, जोगेंद्र शर्मा ने प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए सभी दमनों के खिलाफ संघर्ष करने और सीटू को मजबूत करने के लिए मजदूरों का आह्वान किया. सम्मेलन में अजीत भट्टाचार्य, अध्यक्ष और पूरणचंद, महासचिव सहित एक नई कार्यकारिणी समिति चुनी गई. □

एन एफ एल के मजदूरों का संघर्ष

पानीपत 16 जुलाई. पिछले महीने एन एफ एल के मैनेजमेंट के ठेकेदार ने बागवानी विभाग के 26 मजदूरों को मनमाने तरीके से निकाल दिया था. जिसके विरोध में प्रतिष्ठान के सभी 400 साथी लाल झंडा यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में हड़ताल पर चले गये. एक सप्ताह के बाद उक्त 26 साथी वापस तो ले लिए गये, किंतु एक महीने बाद उन सबको काम से हटाने का नोटिस दे दिया गया. फिरहाल हाइकोर्ट से स्थगन ले लिया गया है. ध्यान रहे कि एन एफ एल के मजदूर अप्रैल 1979 से ही मैनेजमेंट और ठेकेदारों की धांधलियों के विरुद्ध संघर्षरत हैं. प्रतिष्ठान के प्रबंधक सफाई, कैंटीन, लोडिंग, कोयला उतारना और डालना, बागवानी, खाद के कट्टे भरने और सिलने जैसे 12 महीने चलने वाले कामों पर लगे मजदूरों को अस्थायी रखे हुए हैं. लाल झंडा यूनियन ठेकेदारी की समाप्ति तथा सभी मजदूरों को स्थायी करने के लिए संघर्षरत है. □

जूट मजदूरों का शानदार संघर्ष

पश्चिम बंगाल की सभी जूट मिलों के 2 लाख 50 हजार जूट मजदूर और कर्मचारी, जूट मजदूरों के वेतन के ग्रेडों और स्केलों पर सुझावों, जिन्हें राज्य के श्रम मंत्री ने 22 फरवरी 1979 को हुए एक उद्योगव्यापी त्रिपक्षीय समझौते में अंतिम रूप दिया था, को तुरंत लागू करने की मांग के लिए एक शानदार संघर्ष किया,

बंगाल चटकल मजदूर यूनियन (सीटू) और अन्य संगठनों के मजदूरों ने अपनी संगठन विभिन्नता के बावजूद भी संघर्ष में हिस्सा लिया. उन्होंने, इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन और नेशनल जूट मेन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन (केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत) के चेयरमैनों के नाम विभिन्न मिलों के मैनेजरों को मांगपत्र पेश किए और उन्हें अपने पिछले मांगपत्र के बारे में याद दिलायी.

चूंकि मालिकान ने अभी तक समझौते को लागू नहीं किया है, जूट मजदूरों को दो साल से अपनी बढ़ोतरी, जो 8 करोड़ रुपये है, से वंचित रखा गया है. दूसरी ओर जूट मिलों के मालिकान ने मजदूरों पर नये हमले शुरू कर दिए और वेतन कटौती, बदली और अनियमित कार्य-भार थोपा गया. कई मिलों ने तालाबंदी कर दी और कुछ ने आंशिक रुप से अपनी कार्यवाहियां समेट लीं जिससे कई हजार जूट मजदूर कर्मचारियों की छंटनी की गई है. पिछले समझौतों का यकायक उल्लंघन किया जा रहा है.

मजदूरों ने, समझौतों को तुरंत लागू करने, तालाबंदी और वेतन कटौती के खात्मे और काम को सामान्य करने की मांग की है. □

जूट मजदूरों द्वारा बिहारशरीफ के लोगों की सहायता

कलकत्ता के बाल्ली जूट मिल न० 2 के जूट मजदूरों ने 2 जुलाई को कलकत्ता में हुई एक मीटिंग में बिहार-शरीफ के सांप्रदायिकता से पीड़ित लोगों के समर्थन में पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव मनोरंजन राय को 1,001 रुपये भेंट किए. उन्होंने मजदूरों से अधिनायकवादी कांग्रेस (आई) की मजदूर वर्ग के खिलाफ सभी साजिशों को धराशयी करने का आह्वान किया है.

पेट्रोल की कीमत-वृद्धि की आलोचना

आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन (सीटू) के संयोजक विधानसभा सदस्य, शांति घटक ने 15 जुलाई को एक बयान में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि की कड़ी आलोचना की और देश के इंजीनियरिंग मजदूरों से कीमत-वृद्धि अध्यादेश के के खिलाफ जन आंदोलन करने का आह्वान किया तथा इसके खात्मे की मांग की है.

तमिलनाडु सरकार की नीति से 2 लाख हैंडलूम मजदूर बेकार

राज्य के हथकरघा उत्पादकों ने, सूत की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ उत्पादन बंद कर दिया जिससे राज्य के दो लाख हथकरघा मजदूर बेकार हो गए हैं. उत्पादकों और मजदूरों ने, सूत की कम कीमत और बंदी के समय का मजदूरों को पूरे वेतन की अपनी मांगों के लिए संयुक्त संघर्ष किया. उन्होंने सरकारी दफ्तरों की पिकेटिंग की. मदुराई में लगभग एक हजार मजदूर गिरफ्तार किए गए. तमिलनाडु हैंडलूम वर्कर्स फैडरेशन (सीटू) की कार्यकारिणी समिति ने केंद्र सरकार दफ्तरों के सामने प्रदर्शनों का भावी कार्यक्रम तैयार किया है और बुनकरों को सूत का उचित वितरण तथा सरकार द्वारा रूई की खरीद को अपने हाथ में लेने की मांग की.

लेकिन 30 जून को सरकार और उत्पादकों में एक समझौता हुआ जिससे कच्चे सूती धागे की 10 हजार बेलों की कीमत 132 रुपये प्रति 5 किलो बंडल से घटकर 109 रुपये हो गई है. □

मेडिम्पेक्स मजदूरों की जीत

पटना की मेडिम्पेक्स लिमिटेड के मजदूरों ने जून में अपनी यूनियन बनाई जिसे सीटू से संबद्ध कर दिया था. मालिकान ने फैक्ट्री बदलने के बहाने 17 मजदूरों को निकाल दिया. यूनियन ने, आल इंडिया केमिकल एंड फार्मस्यूटिकल एंप्लाईज फैडरेशन की बिहार शाखा की सहायता से एक जुझारू संघर्ष चलाया. मालिकान के साथ मिलीभगत से, पुलिस ने मजदूरों में आतंक पैदा कर दिया. लेकिन मजदूरों ने निर्भीक होकर मालिकान को ले-आफ के खात्मे, यूनियन को मान्यता देने, ले-आफ के समय का पूरा वेतन देने के लिए मजबूर कर दिया. मजदूरों ने 4 जुलाई से फिर से काम शुरू कर दिया है. □

श्रमिक महिला कमेटी व बागान फेडरेशन की बैठकें

आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमेन की एक एक मीटिंग 24 अगस्त को शाम 3 बजे होगी. आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की मीटिंग 25 अगस्त को सुबह 9 बजे होगी. ये मीटिंगें पश्चिम बंगाल में हावड़ा स्थित बाल्ली में होगी जहां सीटू की जनरल काउंसिल की मीटिंग आयोजित की जा रही है. □

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

मोदीनगर में जयप्रकाश की निर्दयतापूर्वक हत्या

मोदीनगर की मोदी टैक्सटाइल मिल के मजदूरों की एच एम एस से संबंधित यूनियन के नेता कामरेड जयप्रकाश की 29 जून को मालिकान के पालतू गुंडों ने निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी. कई मजदूरों को भी गंभीर चोटें आईं.

यह पता चला है कि कामरेड जयप्रकाश मिल गेट पर मजदूरों की एक गेट मीटिंग को सबोधित करने के लिए गए थे और मजदूर मीटिंग में भाग लेने के लिए आ रहे थे. घातक हथियारों से लैस मालिकान के गुंडों ने एकत्रित मजदूरों पर हमला किया जिससे हलचल पैदा हो गई. 50 से भी ज्यादा गुंडों ने एच एम एस के नेता, जिन्होंने 1979-80 के दौरान मोदीनगर के टैक्सटाइल मजदूरों के शानदार संघर्ष का नेतृत्व किया था और जिसके कारण वे मालिकान की आंख का कांटा बन गए थे, पर टूट पड़े. घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई.

मोदियों द्वारा शहर में ट्रेड यूनियन आंदोलन को दबाने के लिए पहले भी कई बार गुंडागर्दी की जा चुकी है. काफी समय पहले 1953 में, मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में संघर्ष शुरू किया था जिसे गुजर मल मोदी ने गुंडों की सहायता से तहस-नहस कर दिया था. इसीतरह से 1957, 1967, 1974 और 1976 में मजदूरों द्वारा किए गए संघर्षों को भी गुंडों की सहायता से और राज्य पुलिस और पी ए सी से मिलीभगत से निर्दयतापूर्वक दबा दिया गया था.

1977 में मजदूरों ने संघर्ष को विफल करने की मालिकान की साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया था. मजदूरों ने अपना संघर्ष जारी रखा और 1979 में काफी लंबे संघर्ष के परिणामस्वरूप मजदूरों को तत्कालीन उप प्रधान मंत्री, चरण सिंह, जो मध्यस्थता कर रहे थे, द्वारा एक फैसला प्राप्त हुआ. इस फैसले को मोदी मालिकान ने लागू नहीं किया है.

इस इलाके में सीटू की कार्यवाहियां जोरो शोरो पर हैं. अधिक से अधिक मजदूर सीटू में शामिल हो रहे हैं, सीटू कथित यूनियन द्वारा चलाए गए संघर्ष का समर्थन कर रही है और कई कार्यकर्त्ता इसकी सफलता के लिए सक्रियता से काम भी कर रहे हैं. केवल 26 जून को ही मालिकान ने एच एम एस यूनियन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि मजदूर चरण सिंह अवार्ड को लागू करने की मांग करते आ रहे थे.

हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश की मिलों के मालिकान की अब आदत सी हो गई है कि गुंडों के बल पर यूनियन के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को डराया और धमकाया जाए जिससे इन राज्यों में मजदूर वर्ग के आंदोलन को दबाया जा सके.

दिल्ली सीटू के महासचिव सुशील भट्टाचार्य ने एक बयान में कामरेड जय. प्रकाश के भयानक कत्ल की आलोचना की है और सभी यूनियनों से संबंधित मजदूरों से एकजुट होकर इसके खिलाफ विरोध प्रकट करने का आह्वान किया तथा बदमाशों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है. □

सिरसा के टैक्सटाइल मजदूरों पर पुनः हमले

हरियाणा स्थित सिरसा की गोपीचंद टैक्साटाइल्स मिल के मालिकान के पालतू गुंडों ने पुलिस के साथ मिलीभगत से मजदूरों पर हमलों का एक नया दौर शुरू कर दिया है. 5 जुलाई को फैक्ट्री कंपाउंड में घातक हथियारों से लैस गुंडों ने मजदूरों पर हमला किया. उन्होंने दो मजदूरों, गया प्रसाद और सुभाष को भट्टी में फेंक दिया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए. और भी कई मजदूर गंभीरतापूर्वक घायल हुए.

इन गुंडों को गिरफ्तार करने की बजाय भजनलाल पुलिस ने 36 मजदूरों, जिसमें हरियाणा सीटू के संयुक्त सचिव टेकचंद और एक गांव का सरपंच शामिल है, को झूठे मामलों में फंसा दिया. वे किसान जो मजदूरों के संघर्ष की सहायता करते थे और दुकानदार जहां मजदूर चाय पीते थे, को भी झूठे आरोपों में फंसाया गया. टेकचंद गुप्ता तो उस समय वहां मौजूद ही नहीं थे क्योंकि वे एक श्रम विवाद के सिलसिले में हिसार रेस्ट हाउस में राज्य के मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे.

उसी दिन सिरसा के डी.सी. ने फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी और जो मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, उन्हें फैक्ट्री से जबरन बाहर निकाला गया. डी. सी. ने उस क्षेत्र में धारा 144 लगा दी और कहा की जब कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा केवल तभी इसे हटाया जाएगा. पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और मजदूरों में आतंक फैला रही हैं. अब तक 125 से भी ज्यादा मजदूरों को झूठे इल्जामों में फांसा जा चुका है.

हिसार जिला कमेटी ने, मजदूर, कर्मचारियों, युवकों, किसानों और अन्य जनवादी लोगों से मालिकान और हरियाणा सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष करने का आह्वान किया है और झूठे आरोपों का खात्मा, छंटनी किए गये मजदूरों की पुनः बहाली, मजदूर-विरोधी नीतियों का खात्मा और गुंडों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है. □

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डी.ए. शेडस्, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित